भारत सरकार
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिनांक 6 मार्च, 2017

मसौदा नि:शक्तजन अधिकार नियमावली, 2017 पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रण नोटिस

नि:शक्तजन अधिकार विधेयक, 2016 के पिछले शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा पारित होने के परिणामस्वरुप, केन्द्र सरकार ने दिनांक 28.12.2016 को नि:शक्तजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया। अधिनियम की प्रति इस विभाग की वेबसाइट www.disability.gov.in पर उपलब्ध है। तथापि, यह अधिनियम अभी लागू किया जाना है।

2. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का खंड 100 उन प्रावधानों को सूचीबद्ध करता है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियमावली तैयार की जानी अपेक्षित है। उक्त अधिनियम को शीघ्र लागू करने को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है तथा इस उद्देश्य के लिए सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है।

3. कार्यकारी समूह ने केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रारुप नियमावली की सिफारिश की है। विभाग ने प्रारुप नियमावली को विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को पुनरीक्षण के लिए अग्रेषित किया है। विधि मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात, विभाग सामान्य नागरिकों से 30 दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रारुप नियमावली को अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

4. विधि एवं न्याय मंत्रालय को अग्रेषित कथित प्रारुप नियमावली की प्रति विभाग की वेबसाइट पर रखी गई है। इसी बीच में नियमावली को शीघ्र अंतिम रुप देने के विषय में, एतद्द्वारा सामान्य नागरिकों से दिनांक 06.04.2017 तक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में सूचना ई मेल kvs.rao13@nic.in पर अथवा श्री के.वी.एस.राव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा सं0 518, पांचवा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कांप्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती है।